हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

मंगलवार, 15 मार्च, 2016/25 फाल्गुन, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)बी(2)-4/99 दिनांक 23.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.02.2016 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग, सहायक आचार्य (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: का0(प्रशि0)बी(1)-1/2006-II दिनांक 08.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.02.2016 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, अनुदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:का0(प्रशि0)बी(1)-1/2006-III दिनांक 17.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.11.2015 को प्रकाशित ।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सहायक खनन निरीक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-II(बी)2-5/2010 दिनांक 13.12.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.01.2014 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन निरीक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-6/2006 दिनांक 09.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी सहायक(भू-विज्ञान), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-2/2014 दिनांक 26.08.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित; और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सर्वेक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-3/2014 दिनांक 25.08.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **132वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 115वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **54वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 4) के पैरा संख्या:4.7 की संवीक्षा पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **16वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवायें एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **17वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है ।

4. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

श्री किशोरी लाल, "दिनांक 9 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

5. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान:-

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171 004
दिनांक: 14 मार्च, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)